वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की वित्त समिति की 17वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 के विनिश्चिय (निर्णय)

प्रो0 नरेन्द्र एस0 चौधरी, मा0 कुलपति , वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की अध्यक्षता में 17वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.02.2021 दिन गुरूवार समय 11 बजे से आयोजित/सम्पन्न हुई। वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

क्र0स0	नाम	पदनाम
01	प्रो0नरेन्द्र एस0 चौधरी, मा0 कुलपति वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,दे0दून	अध्यक्ष
02	श्री एम0एस0 सेमवाल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
03	श्री एस0एस0टोलिया, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
04	श्री एस0पी0 तिवारी, उप–सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
05	श्री एस0एस0 मिश्रा, अनुसचिव, चिकित्सा शिक्षा , उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
06	श्रीमती कविता नबियाल, वित्त नियत्रंक वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,दे0दून	संयोजक/सदस्य
07	श्री आर0पी0 गुप्ता कुलसचिव, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,दे0दून	आमंत्रित सदस्य
08	प्रो0 वाई0 एस0 नेगी, निदेशक, आई0एच0एम0सी0टी0 नई टिहरी	सदस्य
09	प्रो0 के0एस0 मेर, निदेशक, तकनीकी संस्थान गोपेश्वर	सदस्य

उक्त बैठक में प्रो0के0एस0मेर, सदस्य वित्त समिति/निदेशक, तकनीकी संस्थान गोपेश्वर द्वारा ऑनलाईन रूप में प्रतिभाग किया गया। सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित समस्त सदस्योंगणों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ की गई । तत्पश्चात वित्त समिति द्वारा एजण्डा बिन्दु 01 पर विगत 16वीं बैठक दिनांक 19.12.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुये एजेण्डा में उल्लेखित बिन्दुवार निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

2

एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा बिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	वित्त समिति का निर्णय/संस्तुति
बिन्दु–01	विगत 16वीं बैठक दिनांक 12.04.2019 विनिश्चियों पर कृत कार्यवाही– (1) **बिन्दु–10(3)**यू0टी0यू0 से सम्बद्ध संस्थान गुरू नानक एजुकेशन ट्रस्ट (हरमेश) पर परीक्षा शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क के रूप में 2012–13 से 2013–14 तक रू0 8184550.00 बकाया थे। यू0टी0यू0 से सम्बद्ध संस्थान गुरू नानक एजुकेशन ट्रस्ट हरमेश द्वारा विश्वविद्यालय में दिये गये सपथ पत्र के अनुसार बकाया शुल्क समय पर जमा न किये जाने के कारण दिनांक मई,2013 से नवम्बर, 2018 तक का रू0 5000 प्रतिदिन की दर से कुल धनराशि रू0 99,80,000.00 अर्थदण्ड की धनराशि माफ/वसूली के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वित्त समिति द्वारा संस्थान की वास्तविक वित्तीय स्थिति प्राप्त कर आगामी वित्तीय समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	16वीं वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में **बिन्दु–10(3)** संस्थान से वित्तीय स्थिति चाही गयी थी, संस्थान द्वारा अवगत कराया गया हैं कि संस्थान विगत कई वर्षो से बन्द है तथा संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अर्थदण्ड की धनराशि माफ करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त की गई है। प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।	इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा हरमेश संस्थान पर अर्थदण्ड के रूप में देय कुल धनराशि रू0 99,80,000.00 माफ/वसूली किये जाने हेतु प्रकरण से सम्बन्धित सभी अभिलेखों/साक्ष्यों सहित तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।
बिन्दु–02	**वित्तीय वर्ष 2019–20 का अनुमोदित आय–व्यय अनुमान** उ0त0वि0 की अनु0 आय : **40.45 करोड़** उ0त0वि0 का अनु0व्यय : **44.37 करोड़**	16 वीं वित्त समिति से द्वारा अनुमोदित आय व्ययक (विस्तृत आय–व्ययक सलंग्नक)	प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2019–20 के वास्तविक आय–वास्तविक व्यय पर सर्व सम्मति से वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान

③

<table>
<tr>
<td></td>
<td><u>वित्तीय वर्ष 2019–20 का वास्तविक आय–व्यय</u>
वास्तविक आय : 26.88 करोड़
वास्तविक व्यय : 11.57 करोड़</td>
<td>वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुमानित आय के सापेक्ष शासकीय निर्माण अनुदान मद मे आय, शोध छात्रों से शुल्क प्राप्ति न होने तथा विश्वविद्यालय फीस (इनरोलमैंट/पी0डी0सी0/माईग्रेशन/ पंजीकरण शुल्क मद आदि) मे प्रर्याप्त आय प्राप्त न होने के कारण अनुमान के सापेक्ष कम आय प्राप्त हुयी है।
इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 अनुमानित आय के सापेक्ष शासकीय निर्माण अनुदान प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्यदायी संस्था को विश्वविद्यालय का अंश जारी न होने के कारण अनुमान के सापेक्ष कम व्यय हुआ है।</td>
<td>किया गया।
<u>वित्तीय वर्ष 2019–20 का वास्तविक आय–व्यय अनुमोदित :–</u>
वास्तविक आय : 26.88 करोड़
वास्तविक व्यय : 11.57 करोड़</td>
</tr>
<tr>
<td>बिन्दु–03</td>
<td><u>उ0त0वि0 हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 का आय–व्यय अनुमान</u> अनुमोदित
अनुमानित आय : 33.49 करोड़
अनुमानित व्यय : 31.06 करोड
बचत : 02. 43करोड़</td>
<td>वित्त वर्ष 2020–21 हेतु अनुमानित आय रू0 33.49 करोड़ के सापेक्ष अनुमानित रू0 31.06 करोड़ का आय–व्ययक अनुमान वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</td>
<td>प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु अनुमानित आय– व्ययक पर सर्व सम्मति से वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>वित्तीय वर्ष 2020–21 का अनुमानित आय–व्यय अनुमोदित :–</u>
अनुमानित आय : रू0 33.49 करोड़
अनुमानित व्यय : रू0 31.06 करोड़</td>
</tr>
<tr>
<td>बिन्दु–04</td>
<td>05 संघटक संस्थानों के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु समय अवधि दिनांक 31.03.2021 तक विस्तार हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</td>
<td>विश्वविद्यालय के 05 संघटक संस्थानों के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु समय पर धनराशि/बजट शासन प्राप्त न होने के कारण परियोजनायें पूर्ण नहीं हो पायी है जिनकी कार्य अवधि का विवरण निम्नवत् हैः–
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र स</th><th rowspan="2">परियोजना का नाम</th><th rowspan="2">परियोजना की लागत</th><th colspan="2">कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि</th><th rowspan="2">कुल अवमुक्त धनराशि</th><th rowspan="2">भौतिक प्रगति</th></tr>
<tr><th>शासकीय</th><th>यू0टी0यू0</th></tr>
<tr><td>1</td><td>एस0आई0टी0</td><td>2273.25</td><td>700.00</td><td>719.29</td><td>1419.29</td><td>55 %</td></tr>
</table></td>
<td>वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की समस्त निर्माणाधीन अनावासीय भवनों की प्रगति पर चर्चा उपरांत लागत में वृद्धि न किये जाने की शर्त पर दिनांक 31.03.2021 तक अवधि विस्तारण के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।</td>
</tr>
</table>